



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266278
CG-DL-E-20092025-266278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 640]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/317/2021/डीडी/335/2021/बीओडी/704/2023.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने सीए. (सुश्री) राकेश वर्मा (सदस्यता सं. 082388), जे 34 प्रथम तल, सेक्टर 18, नोएडा (उत्तर प्रदेश)- 201301 को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I की मद (11) और भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. (सुश्री) राकेश वर्मा (सदस्यता सं. 082388) के नाम को 30 (तीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. (सुश्री) राकेश वर्मा (सदस्यता सं. 082388) का नाम 19 सितंबर, 2025 से 30 (तीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./374/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2025

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/317/2021/DD/335/2021/BOD/704/2023: In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. (Ms.) Rakesh Verma (M. No. 082388), J 34 I Floor, SECTOR 18, NOIDA(Uttar Pradesh)- 201301**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (11) of Part I and Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. (Ms.) Rakesh Verma (M. No. 082388)** from the Register of Members for a period of 30 (Thirty) days. In pursuance of the aforesaid Order of the Board of Discipline and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. (Ms.) Rakesh Verma (M. No. 082388)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 30 (Thirty) days with effect from 19th September, 2025.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./374/2025-26]